

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

क्रमांक : प. 1 (परिपत्र) / डी.एस / वि.बो. / 2018

दिनांक :

परिपत्र

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं संतोषप्रद कार्य निष्पादन की दृष्टि से निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. 50 लाख से अधिक के निर्माण कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि के 06 माह पश्चात अधिशाषी अभियंता (गुण नियंत्रण) द्वारा एवं 2 वर्ष पश्चात संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा निरीक्षण किया जावेगा।
2. प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात तत्समय निर्माण कार्य की स्थिति, गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रशासक बोर्ड एवं संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता को प्रस्तुत किया जावे।
3. अंतिम निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाये जाने पर ही निर्माण कार्य की सिक्क्योरिटी डिपोजिट (S.D.) का भुगतान किया जायेगा।
4. निरीक्षण के समय सम्पन्न किये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर तत्काल संबंधित संवदेक, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता को नोटिस जारी किया जावे।

उक्त निर्देशों की पालना तुरंत प्रभाव से की जावे।



(दीपक नन्दी)
प्रशासक

क्रमांक : प. 1 (परिपत्र) / डी.एस / वि.बो. / 2018 11796-11920

दिनांक 03/12/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
2. महाप्रबंधक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोन प्रथम / द्वितीय जयपुर।
5. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त वृत्त.....।
6. अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त।
7. सहायक अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त।
8. सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-द्वितीय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त खण्ड.....।
9. A.C.P. Comp. Secy/In.


महाप्रबंधक (प्रशासन)